ह्यूमन टिशू ऑथॉरिटी
जीवित दाताओं द्वारा दिए गए अंगों के प्रत्यारोपण से संबंधित सूचना

प्रत्यारोपण के लिए दान किए जाने वाले अधिकतर अंग उन लोगों से प्राप्त होते हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन साल दर साल जीवित दाताओं से अंग प्राप्त करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। यदि आप भी किसी जीवित दाता से प्राप्त अंग के प्रत्यारोपण के बारे में विचार कर रहे हैं, तो इस लीफलेट में उस बारे में सूचना दी गई है। इसमें निम्नलिखित विषयों के बारे में सूचना दी गई है:

- जीवित दाताओं से प्राप्त अंगों के प्रत्यारोपण से संबंधित कानून (ह्यूमन टिशू ऐक्ट 2004) (Human Tissue Act 2004) और इन प्रतिरोपणों का नियमन करने वाले संगठन (ह्यूमन टिशू ऑथॉरिटी) (Human Tissue Authority) की भूमिका;
- वह आकलन प्रक्रिया जिससे दाता और प्रत्यारोपण के जरूरतमंद व्यक्ति (प्राप्तकर्ता) को प्रत्यारोपण से पहले गुजरना पड़ता है;
- जीवित दाता कौन बन सकता है; और
- किसी जीवित अंग [उदाहरण के तौर पर गुर्दा या लीवर (यकृत) का कोई हिस्सा] को दान करने या प्राप्त करने के बारे में कानूनी रूप से मान्य सहमति या अनुमति कैसे दी जाय।

यह आवश्यक है कि आप इस लीफलेट को आपको प्राप्त होने वाली अन्य सभी सूचनाओं के साथ पढ़ें। इस तरह आपको जीवित दाता, और अंग के प्राप्तकर्ता दोनों से संबंधित सभी बातों की पूरी जानकारी मिल जाएगी।

ह्यूमन टिशू ऑथॉरिटी क्या है?

जनता से परामर्श करने के बाद, सरकार ने अंग प्रत्यारोपण से संबंधित कानून को अद्यतिद किया है। नया कानून – जिसे ह्यूमन टिशू एक्ट 2004 (एचटी ऐक्ट) [Human Tissue Act 2004 (HT Act)] कहते हैं, पारंपरिक तौर तरीकों में सुधार दर्शाता है, और इसमें इस तथ्य को सुनिश्चित किया गया है कि लोगों को अंग प्रत्यारोपण के बारे में उचित ढंग से सहमति देने के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाय।

ह्यूमन टिशू ऑथॉरिटी, यानी हमारे संगठन की स्थापना लोगों को एचटी एक्ट (HT Act) के बारे में सलाह और दिशानिर्देश देने तथा लोगों से उनका पालन सुनिश्चित कराने के लिए हुई है। हमारा उद्देश्य इस क्षेत्र कार्यक्षेत्र से संबंधित रोगियों, परिवारों और पेशेवर लोगों को अधिक विश्वास और हमारे द्वारा स्थापित की गई प्रणाली में उनकी सहायता करना है। हमारी संस्था में दोनों तरह के सदस्य जिनमें एक वरिष्ठ प्रत्यारोपण विशेषज्ञ भी है अर्थात सामान्य सदस्य (ऐसे सदस्य, जिनका कोई व्यावसायिक हित नहीं जुड़ा है), और पेशेवर सदस्य शामिल हैं।

नए कानून के प्रावधानों के अनुरूप, हमारे, या हमारे नामित प्रतिनिधियों – जो स्वतंत्र आकलनकर्ता (Independent Assessor) के रूप में जाने जाते हैं द्वारा जीवित दाताओं से संबंध रखने वाले सभी प्रत्यारोपणों को स्वीकृति प्रदान किया जाना आवश्यक है। दाता का प्राप्तकर्ता से किसी प्रकार का संबंध हो अथवा न हो, इस प्रक्रिया का पालन अवश्य किया जाता है।

जीवित दाता के अंगों का प्रत्यारोपण क्यों?

गुर्दे, हृदय, फेफड़ों, यकृत (लीवर), और पित्ताशय (पैन्क्रियाज) जैसे सजीव अंगों के काम न करने पर अंग निष्क्रियता की स्थिति पैदा हो जाती है, और नतीजे के तौर पर जीवन के लिए घातक बीमारियाँ जन्म लेती हैं। अंग निष्क्रियता के शिकार बने कई लोग अंग प्रत्यारोपण कराना चाहते हैं, और जीवित दाताओं से प्राप्त अंगों के प्रत्यारोपण से लाभान्वित होने वालों की संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है।

गुर्दे अक्सर जीवित दाताओं द्वारा दान किए जाते हैं, और आमतौर पर इनका प्रत्यारोपण काफी सफल रहता है। गुर्दों का दान करने के मामले में दाता के लिए किसी खतरे की आशंका काफी कम रहती है, और जो थोड़ा बहुत खतरा रहता है, उसे भी अंग–दान करने से पहले दाता का पूरी तरह आकलन करके काफी घटा दिया जाता है। लेकिन यह सच है कि गुर्दे का दान करने पर एक बड़ा ऑपरेशन कराना पड़ता है, और ऑपरेशन कराने की योजना बनाने से पहले इस तथ्य को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। यदि दाता से प्राप्त गुर्दे के प्रत्यारोपण की योजना पहले बनाई जाए, तो इससे दाता और प्राप्तकर्ता, दोनों को सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होते हैं, तथा प्राप्तकर्ता डायलिसिस चिकित्सा कराने से बच सकता है। यदि आकलन करने पर किसी व्यक्ति को स्वस्थ, और गुर्दे का दान करने के लिए उपयुक्त पाया जाता है, तो लंबी अवधि में उसके स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

जीवित लोग आमतौर पर अपने अन्य अंगों का दान नहीं करते, पर कभी–कभी लोग प्रत्यारोपण के लिए अपने लीवर के कुछ हिस्सों, फेफड़ों या आँत का दान करते हैं। इन अंगों के दान की प्रक्रिया अधिक जटिल होती है, और उनकी स्वीकार्यता सुनिश्चित करने के लिए उन खतरों के बारे में सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए, जिनका सामना दाता को करना पड़ सकता है। इस मामले से संबंधित कौन से तथ्य जुड़े हुए हैं, इसकी सटीक जानकारी देने के लिए आपका स्थानीय प्रत्यारोपण केन्द्र आपको अधिक जानकारी उपलब्ध करा सकता है।

जीवित दाता कौन बन सकता है?

गुर्दे का दान करने वाले जिन जीवित दाताओं का प्राप्तकर्ता से रक्त–संबंध नहीं होता, उनसे प्राप्त अंग का प्रत्यारोपण भी उतना ही सफल रहता है, जितना कि रक्त–संबंध से जुड़े (आनुवंशिक संबंध वाले) दाता और प्राप्तकर्ता के मामले में रहता है। पहले जीवित दाता उन लोगों को ही अंग दान करते थे, जो उनसे आनुवंशिक रूप से संबद्ध होते थे, एवं जिनका उनसे अत्यंत निजी संबंध होता था (ऐसे लोग, जो आनुवंशिक रूप से तो जुड़े नहीं होते थे, पर जिनके बीच गहरा भावनात्मक संबंध होता था)। कौन किसको अंगों का दान कर सकता है, इस बारे में एचटी एक्ट में अधिक लचीला रूख अपनाया गया है, ताकि जीवित दाता से प्राप्त अंगों के प्रत्यारोपण से अधिक लोग लाभान्वित हो सके।

जीवित दाता से प्राप्त अंगों के प्रत्यारोपण के बारे में नए विकल्प इस प्रकार हैं।

1 ऐसे दाता और प्राप्तकर्ता, जिनके रक्त समूह अथवा ऊतक प्रकार मेल नहीं खाते (या एक दूसरे के लिए अनुपयुक्त हैं), उनकी जोड़ी उसी तरह की परिस्थिति में किसी अन्य दाता या प्राप्तकर्ता के साथ कायम की जा सकती है। इसे 'जोड़ी वाला दान' (paired donation) कहते हैं। कभी–कभी आदान–प्रदान की इस प्रक्रिया में दो से अधिक दाता और दो से अधिक प्राप्तकर्ता शामिल होते हैं, इसे 'समूह वाला दान' (pooled donation) कहते हैं। लेकिन प्रत्यारोपण के इस ढंग से प्रत्येक प्राप्तकर्ता को लाभ होता है, जो उन्हें अन्य तरीकों से प्राप्त नहीं होता।

जोड़ी वाली या समूह वाली दान पद्धति का उपयोग केवल गुर्दों के प्रत्यारोपण के लिए किया जाता है। दाता और प्राप्तकर्ता के ऑपरेशन एक ही समय में किए जाते हैं, ताकि अंगों का प्रत्यारोपण उसी समय किया जा सके।

इस संबंध में स्थानीय प्रत्यारोपण केंद्र आपको अधिक जानकारी दे सकता है, और इस बात का आकलन कर सकता है कि क्या आप जोड़ी वाले, अथवा समूह वाले दान में भाग लेने के लिए उपयुक्त हैं। यदि आपको इसके लिए उपयुक्त पाया जाता है तो आपका ब्यौरा एक राष्ट्रीय रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा, और वहाँ उसका मेल किसी उपयुक्त जोड़ी के साथ बैठाया जाएगा।

2 कोई जीवित व्यक्ति किसी संभावित प्राप्तकर्ता से भले ही कभी न मिला हो, फिर भी उसके दाता बनने पर विचार किया जा सकता है। इसे 'अप्रेरित परोपकारी दान' (non-directed altruistic donation) कहा जाता है।

यदि आप अपना कोई अंग, जो कि आमतौर पर गुर्दा होता है, किसी अज्ञात प्राप्तकर्ता को दान देना चाहते हैं, तो आपको अपने स्थानीय प्रत्यारोपण केंद्र से संपर्क करना चाहिए, ताकि आपका आकलन किया जा सके। यदि आपका आकलन उपयुक्त दाता के रूप में किया गया है और आप उसके बाद आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, तो आपका नाम एक राष्ट्रीय आवंटन योजना में अग्रेषित कर दिया जाएगा, और उसके बाद आपसे संबंधित विवरण का मेल किसी उपयुक्त व्यक्ति के साथ बैठाया जाएगा। यह काम ठीक उसी ढंग से किया जाता है, जैसे कि मृत व्यक्तियों से प्राप्त अंगों का मेल प्रतीक्षा सूची में शामिल रोगियों के साथ बैठाया जाता है।

जोड़ी वाले अथवा समूह वाले दान, और अप्रेरित परोपकारी दान के बारे में विशेष ढंग से विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जीवित दाताओं द्वारा दिए गए अंगों के प्रतिरोपण के उन आम मामलों से भिन्न होते हैं, जहाँ दाता और प्राप्तकर्ता एक–दूसरे को जानते हैं। यह महत्त्वपूर्ण है कि दाता और प्राप्तकर्ता एक दूसरे से अनजान रहें, और इस गोपनीयता का सम्मान किया जाना चाहिए।

आकलन और सहमतिः इन मामलों से क्या जुड़ा होता है?

जीवित दाता से प्राप्त किसी अंग का प्रत्यारोपण करने से पहले दाता और प्राप्तकर्ता, दोनों का भलीभाँति आकलन कर लेना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसा करना दोनों व्यक्तियों के लिए सुरक्षित और उपयुक्त रहेगा। इसमें चिकित्सीय परीक्षण, उपयुक्तता–संबंधी जाँच और प्रक्रिया के खतरों और लाभ के बारे में विचार–विमर्श शामिल है। इस निर्धारण (आकलन) से यह सुनिश्चित हो जाता है कि उपलब्ध श्रेष्ठतम सूचनाओं के आधार पर दाता और प्राप्तकर्ता अपनी पूरी सहमति दे सकते हैं।
जहाँ कहीं भी संभव होगा, वहाँ पर दाता और प्राप्तकर्ता अपने उन परामर्शदाताओं से परामर्श कर सकेंगे, जो कि उनकी खैरियत (बेहतरी) के लिए उत्तरदायी हैं। दाता और प्राप्तकर्ता के आकलन से स्वास्थ्य देखभाल टीम के अन्य सदस्य भी संबद्ध होंगे। लेकिन दाता और प्राप्तकर्ता आकलन अवधि के दौरान और ऑपरेशन के समय तक स्वयं को प्रक्रिया से किसी भी समय अलग करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होंगे।

स्वतंत्र आकलन प्रक्रिया क्या है?

सभी दाताओं और प्राप्तकर्ताओं के लिए एक स्थानीय स्वतंत्र आकलक (आईए) [Independent Assessor (IA)] से मिलना आवश्यक है, जो अधिकांश मामलों में प्रत्योरापण के ऑपरेशन की अनुमति दे सकता है। आईए (IA) हमारे लिए काम करता है, पर वह उस स्वास्थ्य देखभाल टीम से स्वतंत्र होता है, जिस पर दाता और प्राप्तकर्ता की जिम्मेदारी होती है।

आईए (IA) दाता और प्राप्तकर्ता दोनों का एक साथ और अलग–अलग इंटरव्यू लेगा, फिर एक रिपोर्ट लिखेगा। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि दाता और प्राप्तकर्ता का भलीभाँति आकलन कर लिया गया है, और वे अंग के आदान–प्रदान से संबंधित बातों को समझते हैं। आईए (IA) को इस बात की संतुष्टि होनी चाहिए कि दाता पर किसी तरह का दबाव नहीं है, और वह अपनी सहमति स्वतंत्रता और स्वेच्छा से दे रहा है। आईए (IA) विशेष रूप से दाता और प्राप्तकर्ता के आपसी रिश्तों की प्रकृति, और दान की प्रेरणा के बारे में अपना निर्णय देगा। आईए (IA) को इस संबंध में आश्वस्त होना चाहिए कि उनके बीच जायज रिश्ता है, और दान आर्थिक कारणों, अथवा किसी अन्य प्रलोभन के कारण नहीं किया जा रहा है। यदि संभावित प्राप्तकर्ता कोई बच्चा है, तो साक्षात्कार में उसके साथ वह वयस्क भी उपस्थित होगा, जिसने प्रत्यारोपण के लिए बच्चे की ओर से सहमति दी है।

आईए (IA) दाता और प्राप्तकर्ता, दोनों से ऐसे दस्तावेजों की माँग करेगा, जो उनके संबंधों की प्रकृति का समर्थन करते हों। संबंधों की प्रकृति के अनुसार, आवश्यक साक्ष्य अलग–अलग प्रकार के हो सकते हैं, और इस संबंध में प्रत्यारोपण केंद्र सलाह देगा।

प्रत्यारोपण के जिन मामलों में दाता और प्राप्तकर्ता एक–दूसरे को जानते हैं, आईए (IA) को यदि एक बार संतुष्टि हो जाय तो वह प्रत्यारोपण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति दे सकता है। उन मामलों को, (हालाँकि ऐसा होने की संभावना काफी कम रहती है), जिनमें आईए (IA) प्रत्यारोपण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दे सकता, विचार के लिए ह्यूमन टिशू ऑथॉरिटी (HTA) के पास भेजा जाएगा। अत्यंत असाधारण प्रकृति के मामलों, जैसे कि संभावित जीवित दाता के रूप में यदि किसी बच्चे के बारे में विचार किया जाना हो, को भी हमारे पास भेजा जाएगा।

जोड़ी वाले अथवा समूह वाले तथा अप्रेरित परोपकारी दान के मामले में, आईए (IA) द्वारा स्थानीय स्तर पर एक बार आकलन कर लिए जाने के बाद वे प्रत्यारोपण प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए अंतिम रूप से सहमति देने हेतु ह्यूमन टिशू ऑथॉरिटी (HTA) को आवेदन करेंगे।

उन मामलों में स्वतंत्र आकलन प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती, जिनमें अंग को शरीर से चिकित्सीय उपचार करने के लिए निकाला जा चुका हो, और रोगी जीवित दाता बनने का इच्छुक हो। इस तरह का एक उदाहरण यह है कि यदि हृदय और फेफड़ों का प्रत्यारोपण करने के लिए किसी का हृदय निकाला गया हो और निकाले गए हृदय का उपयोग किसी प्रत्यारोपण के लिए किया गया हो। ऐसी दशा में, जो व्यक्ति दान किए गए हृदय को प्राप्त करता है, उसकी पहचान घोषित की जाएगी। इसे 'अप्रेरित डोमिनो दान' ('non-directed domino donation') कहते हैं।

टिप्पणी

यदि मानव ऊतक (HT) अधिनियम की शर्तों को पूरा न किया गया हो, तो दो जीवित व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण ऑपरेशन संपन्न करना अपराध है। इन शर्तों में दाता और प्राप्तकर्ता द्वारा विधिसम्मत ढंग से अनुमति दिया जाना शामिल है। मानव अंग की किसी भी प्रकार की खरीद–बिक्री, या मानव अंगों की खरीद बिक्री के विज्ञापन से संबद्ध होना भी अपराध है। इन अपराधों की सजा तीन साल की कैद, या जुर्माना, अथवा दोनों हो सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए

यह लीफलेट मार्गदर्शिका मात्र है। हमारे बारे में या ह्यूमन टिशू ऐक्ट (HT Act) के बारे में अधिक जानकारी के लिए **www.hta.gov.uk** देखें, अथवा हमसे संपर्क करें:

ह्यूमन टिशू ऑथॉरिटी **(Human Tissue Authority)**
Finlaison House
15–17 Furnival Street
London
EC4A 1AB.

टेलीफोन 020 7211 3400
फैक्स 020 7211 3430
ई–मेल enquiries@hta.gov.uk

यह लीफलेट हमारी वेबसाइट पर वेल्स, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, हिंदी और बंगाली में उपलब्ध है।

जून 2006 में प्रकाशित।
कॉपीराइटः ह्यूमन टिशू ऑथॉरिटी (Human Tissue Authority)